स्वामी अग्निवेश द्वारा आयोजित

पत्रकार सम्मेलन–3 अगस्त, 2018

प्रेस वक्तव्य

17 जुलाई, 2018 को झारखण्ड के पाकुड़ में मुझ पर और मेरे साथियों पर हुए जानलेवा हमले को आज 15 दिन से अधिक हो गये। 17 जुलाई को ही हमारी ओर से श्री जय माल्टो ने हमलावरों के नाम के साथ नामजद FIR दर्ज कराई थी– प्रतिलिपि संलग्न है।

झारखण्ड विधान सभा में विपक्ष के नेता हेमन्त सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी,, कांग्रेस के नेता सुबोधकान्त सहाय और समूचे विपक्ष ने 18–19 जुलाई को जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को प्रजातंत्र एवं आदिवासियों के लिए संविधान प्रदत्त अधिकारों पर हमला बताकर हमलावरों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की।

लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के वरिष्ठ सांसदों ने इसी तरह हमले की पुरज़ोर निंदा करके अविलंब कार्यवाही की मांग की। (सोनिया गांधी जी का पत्र संलग्न)

देश के अनेक प्रांतो की राजधानियों तथा प्रमुख शहरों में आम लोगों ने प्रदर्शन कर, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कठोर कार्यवाही की मांग की।

22 जुलाई को आर्यसमाज की ओर से सर्वोच्च संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में दिल्ली के संसद मार्ग पर विशाल प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा।

स्टॉकहोम, जिनेवा, देश के बाहर से भी तथा इसी तरह वाशिंगटन वर्ल्ड बैंक से, राइट लाइवलीहुड, वियना–KAICIID आदि से जुड़े प्रमुख लोगों ने भी हमले की निन्दा कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही करने के लिए एकजुटता दिखाई।

लेकिन बड़े दुःख और आश्चर्य से कहना पड़ रहा है कि झारखण्ड की सरकार ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और पाकुड़ से प्राप्त ताजा सूचना के आधार पर कमिश्नर एवं डी.आई.जी. की टीम की प्रारम्भिक जांच के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उल्टा बीजेपी की ओर से मेरे और मेरे साथियों के विरूद्ध झूठी FIR दर्ज करवाकर रफा दफा करने की शर्मनाक कोशिश की जा रही है।

मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का विशेष दुःख है कि **BJP , NDA अथवा R.S.S. के किसी एक कार्यकर्ता, नेता** ने इस हमले की साफ शब्दों में निन्दा करते हुए आरोपियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की मांग नहीं की। हमले के

तुरंत बाद मैंने स्वयं भारत के गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह से संपर्क करना चाहा पर व्यस्तता का बहाना बनाकर उनका आज तक कोई जवाब नहीं आया। मेरी ओर से डा० वेद प्रताप वैदिक जी ने भी राजनाथ जी से फोन से या मिलकर कार्यवाही की अपेक्षा की, पर निराशा ही हाथ लगी।

उपरोक्त रवैय्ये से जो चित्र उभरकर सामने आ रहा है वह बहुत डरावना है और आसन्न संकट की ओर इशारा करता है। सवाल उठता है कि क्या यह हमला सर्वोच्च स्तर पर प्रधानमंत्री और पार्टी प्रमुख के द्वारा प्रायोजित था? अथवा आर. एस.एस. प्रमुख का आदेश था–झारखण्ड के मुख्यमंत्री को जिसे उन्होंने बखूबी निभाया?

क्या यह हमला जो उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय के भीड़ द्वारा हमले पर गंभीर आदेश के कुछ घंटो के अंदर ही जिस तेजी से क्रियान्वित हुआ यह न्यायपालिका की गरिमा को भी ठेस नहीं पहुँचाता?

क्या उपरोक्त सभी सवालों का निष्कर्ष एक बड़े सवाल को जन्म नहीं देता कि Adolf Hitler से प्रेरणा लेने वाले तत्कालीन संघ प्रमुख गोलवलकर जी की योजनान्तर्गत फासीवाद दस्तक तो नहीं दे रहा?

ऐसे हालात को देखकर मैं और मेरे साथी न्याय की एकमात्र आशा की किरण, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका देने जा रहे हैं और उनकी निगरानी में SIT द्वारा जांच की मांग करने जा रहें हैं।

अंत में मैं उन सभी सजग पत्रकारों को उनकी तत्परता एवं निष्पक्षता के लिए बधाई देता हूँ जिनके बिना यह सारा घिनौना कांड दब कर रह जाता है।

निष्कर्ष :–

मेरे ऊपर जानलेवा हमला करके RSS और BJP हिन्दूधर्म–संस्कृति की ठेकेदारी का दावा करने वाले आज पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं–यह हमला हिन्दू समाज की सबसे बड़ी सेवा–सुधार करने वाले आर्यसमाज पर हमला है–महर्षि दयानंद और वेदों की मानवता के संदेश पर हमला है। RSS हिन्दू सत्य सनातन वैदिक धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है।

सम्पर्क : agnivesh70@gmail.com

011-23363221, 23367943